



दिनांक 07.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति 10/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

ए.एन.टी.एफ—दिनांक 06.07.25 को ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली द्वारा अन्तराज्यीय मादक पदार्थ के तस्कर जिनके लिक उत्तर पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक विस्तृत है एवं उनके पास से मादक पदार्थ, उसके उपसाधक उपकरण, ट्रांसमिशन उपकरण युक्त उच्च प्राद्योगिकी यन्त्र एवं वाहन तथा नकद धनराशि बरामद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ०प्र० लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ०प्र० लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ उ०प्र० के निर्देशन में ए०एन०टी०एफ० यूनिट बरेली द्वारा अन्तराज्यीय मादक पदार्थ के तस्कर जिनके लिक उत्तर पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक विस्तृत है एवं उनके पास से मादक पदार्थ, उसके उपसाधक उपकरण, ट्रांसमिशन उपकरण युक्त उच्च प्राद्योगिकी यन्त्र एवं वाहन तथा नकद धनराशि बरामद कर 02 सक्रिय तस्कर 1— प्रियंका दास पत्नी विमोल करमाकर निवासी मो० बेलकला थाना बोकाजान जिला कार्बी आंगलोंग राज्य असम को दिनांक—06.07.25 को यूनिवर्सिटी रोड पर 99 बीघा के सामने सड़क किनारे थाना बारादरी, 2—सिमरन पुत्री स्व० निर्मल सिंह निवासी बी 7 मेगा सिटी संजयनगर थाना बारादरी बरेली को दिनांक 06.07.25 को उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता प्रियंका दास के कब्जे से अवैध हैरोईन एवं अभियुक्ता सिमरन के घर से 265 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, क्रिप्टॉ करैंसी सर्वर, लेपटॉप एस्सर, डीवीडी प्लेयर एलजी, आई पैड, इलेक्ट्रॉनिक तुला, मोबाईल फोन, नाजाइज शस्त्र व मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त गाडी बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी । इस सम्बन्ध में थाना बारादरी जनपद बरेली में मु०अ०सं० 719/25 धारा— 8/18/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 1985 तथा 3/25 आर्म्स एक्ट, 1959 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण—

1.प्रियंका दास पत्नी विमोल करमाकर निवासी मो० बेलकला थाना बोकाजान जिला कार्बी आंगलोंग राज्य असम ।

2. सिमरन कौर पुत्री स्व० निर्मल सिंह निवासी बी 7 मेगा सिटी, संजयनगर थाना बारादरी बरेली।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय—

अभियुक्ता प्रियंका दास उपरोक्त को दिनांक— 06.07.2025 समय— 15.24 बजे स्थान— यूनिवर्सिटी रोड पर 99 बीघा के सामने सडक किनारे थाना बारादरी तथा अभियुक्ता सिमरन उपरोक्त को दिनांक— 06.07.2025 समय— 18.05 बजे स्थान— बी 7 मेगा सिटी संजयनगर, थाना बारादरी बरेली से गिरफ्तार किया गया ।

बरामदगी का विवरण—

1. अवैध मादक पदार्थ
2. क्रिप्टॉ करैंसी सर्वर
3. मोबाईल फोन
4. स्विफ्ट डिजायर गाडी
5. हाईड्रोक्लोरिक एसिड
6. लेपटॉप
7. डीवीडी प्लेयर एलजी
8. आई पैड
9. इलेक्ट्रॉनिक तुला
10. नाजाइज शस्त्र

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण— ए०एन०टी०एफ० टीम यूनिट बरेली—

1. प्रभारी उ०नि० श्री विकास यादव तैनाती ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली ।
2. हे०का० दिनेश कुमार यादव तैनाती ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली ।
3. का० 2816 सौरभ चौधरी तैनाती ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली
4. का० 3214 अंकित यादव तैनाती ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली ।
5. का० 1143 कुश कुमार तैनाती ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली ।
6. म०का० रिजवाना राव ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली ।
7. का० रसविन्द्र चौधरी तैनाती ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली ।
8. म०का० छाया ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली ।

पुलिस टीम थाना— बारादरी जनपद बरेली

1. उ०नि० कुशलपाल थाना बारादरी जनपद बरेली ।
2. हे०का० 423 अनूप तोमर थाना बारादरी जनपद बरेली
3. का० 484 ललित कुमार थाना बारादरी जनपद बरेली ।

टीम सर्विलांस ए.एन.टी.एफ मुख्यालय लखनऊ

1. एस.आई.एम राजेश मिश्रा (सर्विलांस प्रभारी) तैनाती ए.एन.टी.एफ. मुख्यालय लखनऊ
2. मय समस्त सर्विलांस टीम

ए०एन०टी०एफ०—ए०एन०टी०एफ० थाना बाराबंकी द्वारा बिहार से मार्फीन की तस्करी करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 किलो 60 ग्राम अवैध मार्फीन जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (लगभग 04 करोड़ 10 लाख रुपये) व 01 अदद बोलेरो बरामद।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ०प्र०, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ०प्र०, लखनऊ के मार्ग दर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए०एन०टी०एफ० लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर राजेश तिवारी उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र रामनारायण तिवारी निवासी माधोपुर मधु थाना बरुराज जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) हालपता सरकार कुमार टुली भिमभार फासीदेवा, पश्चिम मदाती, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) को पकड़ कर, उसके कब्जे से 02 किलो 60 ग्राम अवैध मार्फीन जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (लगभग 04 करोड़, 10 लाख रुपये) व 01 अदद बोलेरो गाड़ी बरामद कर, गिरफ्तार किया गया। थाना मोतीपुर, जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) में मु०अ०सं० 229/2025 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 व 317(5) बीएनएस पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण:—

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गई तो अभियुक्त राजेश तिवारी द्वारा बताया गया कि मुझे "अ" नामक व्यक्ति ने (सिलीगुड़ी) में मादक पदार्थ दिया था तथा निर्देशित किया था कि उसे छतैनी पूर्वी चम्पारण लेकर जाओ जहाँ "ब" नाम के

व्यक्ति उससे आकर लेगा। मैं माल लेकर बोलेरो गाड़ी से बाग डोगरा से चला था नरियार पहुँचा कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त से पूछताछ में काफी लाभप्रद जानकारी प्राप्त हुयी है जिसके सम्बन्ध में फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज पर कार्य करते हुए, इस अपराध में संलिप्त इसके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध भी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1. राजेश तिवारी उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र रामनारायण तिवारी निवासी माधोपुर मधु थाना बरुराज जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः—

दिनांक: 06.07.2025 समय: 00.20 बजे, स्थान: नरियार राज वाटर पार्क के सामने, छम् 27, थाना मोतीपुर जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) ।

कुल बरामदगीः—

1. 02 किलो 60 ग्राम अवैध मार्फीन जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (लगभग 04 करोड़, 10 लाख रुपये) ।
2. 01 अदद् बोलेरो गाड़ी ।
3. 01 अदद् एण्ड्रायड व 01 अदद् कीपैड मोबाइल फोन ।
4. 01 अदद् आईकार्ड ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकीः—

1. उ0नि0 श्री करुणेश पाण्डेय थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
2. उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
3. उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
4. उ0नि0 श्री मनीष कुमार दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
5. हे0का0 आदिल हाशमी थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
6. हे0का0 वेदप्रकाश दुबे थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
7. हे0का0 आलोक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
8. का0 कृष्ण कुमार यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।

सहयोगार्थ टीमः— थाना मोतीपुर, जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार)।

जनपद सहारनपुर/थाना गागलहेड़ी

- पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद

दिनांक 06/07.07.2025 को थाना गागलहेड़ी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोलकी टोल प्लाजा हाईवे पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। दो अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी निवासी ग्राम सालीवाला चोड चोटाला थाना डबवाली सदर जनपद सिरसा हरियाणा, हालपता ग्राम रतनपुरा थाना संगरिया जनपद हनुमानगढ़ राजस्थान।

बरामदगी

1-01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

2-01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद सिद्धार्थनगर/एनआईटी सिद्धार्थनगर

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.07.2025 को एसआईटी सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नरसिंह को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-नरसिंह निवासी अतर्दिया थाना सोनहा जनपद बस्ती।

जनपद हरदोई/थाना शाहाबाद

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के नगद रुपये आदि बरामद

दिनांक 06.07.2025 को थाना शाहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मदन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के नगद रुपये आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मदन कुमार निवासी खजुरियाबाग थाना कोशहर जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—चोरी के नगद रुपये आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 90 हजार रुपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 06/07.07.2025 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजनौर रोड कोल्हू के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—एजाज उर्फ एजहास 2—नवाजिश घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—सुहेल 4—सारिक सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 90 हजार रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.07.2025 को थाना मीरापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—एजाज उर्फ एजहास निवासी कूकडा थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2—नवाजिश निवासी ग्राम तिरसा थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3—सुहेल निवासी अहमद नगर कूकडा थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 4—सारिक निवासी ग्राम बिलासपुर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

- 1—लूट के 90 हजार रुपये नगद।
- 2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना बभनी/थाना म्योरपुर

• 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 25 लाख 54 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 27 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा

• 03 मोबाइल फोन

• 02 कार आदि बरामद

दिनांक 06.07.2025 को थाना बभनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नधिरा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1—अविनाश कुमार 2—रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया एवं थाना म्योरपुर पुलिस टीम द्वारा बघमन्दवा के पास से अभियुक्त 3—शक्ति कुमार 4—प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख 54 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 27 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा, 03 मोबाइल फोन, 02 कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बभनी व थाना म्योरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अविनाश कुमार निवासी ग्राम सराय आलम सिरसा चौराहा थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

2—रवि कुमार निवासी पूरेसूरदास थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।

3—शक्ति कुमार निवासी विकास कॉलोनी थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।

4—प्रवीण कुमार निवासी वार्ड नं०—52 थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख 54 हजार रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 27 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा।

2—03 मोबाइल फोन।

3—02 कार आदि।

➤ जनपद महोबा/थाना कबरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 11 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना कबरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
